प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां

)सितंबर, 2020(

*****

1. कोविड-19 महामारी

1.1 डॉ. वी.के.पाल सदस्य (स्वास्थ्य) नीति आयोग की अध्यक्षता तथा सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की सह-अध्यक्षता में दिनांक 12 सितंबर तथा 22 सितंबर, 2020 को कोविड-19 हेतु प्रतिरक्षण प्रसार के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की दो बैठकें आयोजित की गईं।

1.2 देश की संपूर्ण आबादी के शीघ्र तथा व्यापक टीकाकरण के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा के लिए दिनांक 16 सितंबर,2020 को नीति आयोग के उप सभापति द्वारा एक बैठक आयोजित की गई तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न मापदंडों पर की गई प्रगति का प्रस्तुतीकरण दिया गया।

1.3 एम्स, भटिंडा में कोविड19 को रोगियों के उपचार हेतु एक समर्पित अस्पताल ब्लॉक का निर्माण किया गया।

1.4 पुरानी बीमारी के लिए उपचार करा रहे सीजीएचएस लाभार्थियों को दिनांक 31 दिसंबर, 2020 तक सस्ते (सीजीएचएस चिकित्सा अधिकारी/सीजीएचएस स्पेशलिस्ट/अन्य सरकारी स्पेशलिस्ट/पैनलबद्ध अस्पताल के स्पेशलिस्ट के नुस्खे से) औषधियां खरीदने की अनुमति दी गई है। शर्तें तथा नियम दिनांक 27.3.2020 के का.ज्ञा. के माध्यम से निर्धारित की गई है। सभी सीजीएचएस आरोग्य केंद्र पूर्णत: कार्यरत हैं तथा सीजीएचएस लाभार्थी सामान्य प्रेक्टिस के अनुसार बाजार से दवाई खरीदने के बजाए सीजीएचएस आरोग्य केंद्र से दवाई खरीद सकते हैं।

2. विधायी उपाय तथा विनियम :

2.1 दिनांक 15.8.2020 को 1264 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से मंत्रिमंडल ने दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिहार की स्थापना की मंजूरी दी है। यह संस्थान बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में बनाया जाएगा तथा इसमें 750 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा।

2.2 प्री-कनसेप्शन तथा प्री-नटल डाइग्नेस्टिक टेक्निक (लिंग चयन निषेध) (छ: माह का प्रशिक्षण) संशोधन नियम, 2020 को दिनांक 18.09.2020 को लोकसभा तथा दिनांक 20.09.2020 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

3. विविध:

3.1 तेलंगाना में एम्स बीबीनगर (हैदराबाद) में ओपीडी सेवाएं 01.09.2020 को प्रारम्भ हो गई है।

3.2 पूर्वोत्तर विकास परिषद (एनईसी), पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 7 सितंबर, 2020 को सचिव, एनईसी की अध्यक्षता में वर्चुअल मंच पर आयोजित की गई। यह बैठक परस्पर सहयोग एवं

सहायता में नाको और एनईसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में यथा सहमत एनईसी से सहायता लेने और कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए विचार-विमर्श करने हेतु आयोजित की गई थी।

4. न्यूनतम सरकार, अधिकतम अधिशासन

4.1 समुदाय आधारित एचआईवी जांच दृष्टिकोण को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। शीघ्र निदान, उच्च व्याप्रता वाली सेंटिग्स और उच्च जोखिम समूह जनसंख्या में पुरूषों तथा किशोरों सहित पहली बार जांच कराने वालों एवं नैदानिक सेवाओं का कभी-कभार उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए समुदाय अधारित जांच को पहुंच में लाना एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है।

4.2 एआरवी औषधियों की बहु-मासिक व्यवस्था वर्तमान में उन एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के लिए की जा रही है जो इसके पात्र हैं। इस पहल के परिणाम स्वरूप एआरटी केंद्रों में दैनिक रूप से आने वाले ओपीडी रोगियों की संख्या में कमी आई है और इससे एआरटी स्टाफ जरूरतमंद (प्राथमिकता वाले) रोगियों को पर्याप्त समय देने में सक्षम हुए हैं।

4.3 एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय टॉल फ्री एड्स हैल्पलाइन 1097 में एक ऑनलाइन शिकायत निपटान मंच का विकास किया गया है। शिकायत का निपटान करने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शिकायत कर्ताओं को आउटबाउंड काल के माध्यम से दी जाती है।

******